संख्या-05/2023/211 /002-1687928-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0102-''पर ड्रॉप मोर क्राप''-माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60 / रा.40- के.) में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0- 4680.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-115/बजट/2022-23, दिनांक 27.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-24/2020RFS-III दिनांक 20.01.2023 द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के सापेक्ष सामान्य श्रेणी में अवमुक्त की गयी। प्रथम किस्त की धनराशि रू0-5850.00 लाख के सापेक्ष माइक्रोइरीगेशन हेतु मात्राकृत धनराशि रू0-4680.00 लाख को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-''पर ड्रॉप मोर क्राप''-माइक्रो इरीगेशन योजना (के.60/रा.40-के.) में केन्द्रांश की धनराशि रू0-4680.00 लाख को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एस0एन0ए0 के खाते में अन्तरण किया जायेगा।

3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश राज्य की समेकित निधि में जमा है।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5. कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर निदेशक, उद्यान द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

6. प्रस्ताव मे ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध् बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।

8. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. निदेशक, उद्यान सम्भांवित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पाष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

14. योजनान्तर्गत अन्य व्यय एवं प्रशिक्षण मद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 निहित होगा। सब्सिडी मद में केन्दांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का अनुपात

https://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0-32/2022-1240/58-2022-429/2015, दिनांक 30.06.2022 के अनुसार निहित होगा।

15. ड्रिप/ स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी:-

I. विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम आवक प्रथम - पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा ।

II. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और प्रमुखता से कार्य करने वाले 10 निर्माता फर्मों के औसत मूल्य के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म से आपूर्ति / स्थापना का कार्य लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं व्यय करने पर शासकीय अनुदान की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान की राशि आधार सीडेड ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी। अनुमन्य कृषक अंश की धनराशि लाभार्थी द्वारा नकद अथवा ड्राफ्ट के रूप में संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर को किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा, ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना हेतु अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम रूप में निर्माता फर्म को निजी स्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी०डी०सी०), संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रब्यूटर को हस्तगत किया जायेगा ।

III. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट, जियो टैगिंग एवं निर्माता फर्म को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन पी. एफ. एम. एस/ एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी. बी. टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में किया जायेगा।

Iv. योजना में ऋण के संबंध में लाभार्थी कृषक तथा संबंधित द्वारा बैंक ऋण की औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

16. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

17. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18. योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190102 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.))

https://sinasamadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	43,50,06,000 (रुपये तैंतालीस करोड़ पचास लाख छह हजार मात्र)
2	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	3,27,20,000 (रुपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार मात्र)
3	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,74,000 (रुपये दो लाख चौहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**46,80,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)**
महायोग				46,80,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E -1-408-X2022-23-दिनांक:9-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)

https://shasanadesh.up.gov.in

संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2023/211/002-1687928-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सहायक आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-24/2020/RFS-III, दिनांक 20-01-2023 के संदर्भ में।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in